पत्रांक–2ब०/जला०–01–50/2016 352 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक–29/3/17

विषयः– **मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत पूर्व से संचालित केन्द्र सम्पोषित JNNURM योजना की विस्तारित अवधि 31.03.2017 को समाप्त होने की स्थिति में योजना का अवशेष कार्य राज्य योजनान्तर्गत "मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना" से कराए जाने के निर्णय के आलोक में तत्काल योजना स्वीकृति की प्रत्याशा में अग्रिम राशि ₹400.00 लाख (चार करोड़ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में आवंटन की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों को नल के माध्यम से शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराने हेतु ''मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना'' प्रारंभ किया गया है। योजना के कार्यान्वयन हेतु विभागीय संकल्प संख्या– 1287, दिनांक– 25.02.2016 निर्गत किया गया है।

2. विभागीय संकल्प के कंडिका– 04 अनुसार जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन की रणनीति निम्नवत है :–

(i) इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों की सघन एवं निरंतर बसे घरों के लिए पेय जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता आधारित सतही जल/भूगर्भीय जल का उपयोग करके योजनाएँ बनायी जाएगी। लगभग 15–20 प्रतिशत क्षमता Overhead Tank के माध्यम से सृजित की जाएगी एवं शेष क्षमता के लिए Direct Pumping से आपूर्ति करने का प्रावधान किया जाएगा।

(ii) ऐसी बसावटें, जो शहरी क्षेत्रों के किनारे पर अलग से स्थित है, उनमें छोटी विकेन्द्रित योजनाऐं ली जाएगी, जिसमें बोरिंग कर समरसेबुल पम्प के माध्यम से Direct Pumping किया जाएगा।

(iii) शहरी स्थानीय निकायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयोजन से छोटी जलापूर्ति योजनाओं का कार्यान्वयन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किया जाएगा। बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा मॉडल परियोजना तैयार करके, सक्षम तकनीकी स्वीकृति के उपरांत, नगर निकायों को उपलब्ध करायी जाएगी। नगर निकायों द्वारा उनके पास उपलब्ध निधि से वार्ड के अंदर या अंतरवार्ड महत्व की छोटी योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जाएगा।

(iv) इस क्रम में शहरी स्थानीय निकायें, पूर्व से गाड़ें गये टयूबवेल, जिनका जीर्णोद्धार करना हो या क्षमता विकसित करनी है, उसके लिए भी कार्य ले सकेंगे।

(v) छोटी जलापूर्ति योजनाओं का कार्यान्वयन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किया जाएगा। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्तुत योजनाओं पर तकनीकी स्वीकृति बिहार राज्य जल पर्षद के मुख्य अभियंता के स्तर पर गठित समिति द्वारा की जायेगी। इस संबंध में समय–समय पर नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा दिशा निर्देश दिया जायेगा।

(vi) योजना का क्रियान्वयन 'E-tendering' के माध्यम से ही किया जायेगा।

3. विभागीय संकल्प के कंडिका– 05 (i) के अनुसार नगर निकायों को ''मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना'' के अंतर्गत निम्नांकित स्त्रोतों से निधि प्राप्त होगी :–

(i) 14वें वित्त आयोग की 30 प्रतिशत राशि (स्थानीय नगर निकायों का पूर्णतया हिस्सा)

(ii) पंचम राज्य वित्त आयोग की 30 प्रतिशत राशि (स्थानीय नगर निकायों को पूर्णतया हिस्सा)

(iii) हर घर नल जल निश्चय योजना अन्तर्गत उपर्युक्त क्रमांक– (i) और (ii) के योग के समतुल्य राशि, राज्य सरकार द्वारा राज्य योजना से स्थानीय नगर निकायों को दी जाएगी।

4. मुजफ्फरपुर शहर में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना की स्वीकृति अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि पूर्व में JNNURM योजना के अधीन केन्द्र सम्पोषित मुजफ्फरपुर शहरी जलापूर्ति योजना का कार्यान्वयन बुडको द्वारा कराया जा रहा था। विभिन्न कारणों से योजना बाधित रही तथा भारत सरकार द्वारा योजना को बंद कर दिया गया। उक्त योजना में अनुपयुक्त राशि अब भारत सरकार को बापस लौटा दिया जायेगा, क्योंकि JNNURM योजना की विस्तारित अवधि 31.03.2017 को समाप्त हो रही है।

5. उक्त योजना के तहत तैयार किये गये DPR में आंशिक संशोधन करते हुए शेष कार्य राज्य योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना से कराने का निर्णय लिया गया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि तैयार किये गये DPR के तहत मुजफ्फरपुर शहर के जोन सं०– 06,08,09 एवं 10 में बुडकों द्वारा योजना पूर्ण किया जायेगा तथा शेष जोन में नगर निगम, मुजफ्फरपुर द्वारा कार्य कराया जायेगा। पुनरीक्षित DPR में House Hold Connection, Quality Control, Water Meter इत्यादि का प्रावधान किया जायेगा। पुनरीक्षित DPR विभाग को प्राप्त होने पर अगले वित्तीय वर्ष में इसकी प्रशासनिक स्वीकृति मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के अन्तर्गत प्रदान की जायेगी।

6. मुजफ्फरपुर नगर निगम के पास मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना से संबंधित विभागीय संकल्प की कंडिका– 05(i) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में आवंटित 14वें वित्त आयोग एवं पंचम राज्य वित्त आयोग मद की 30 प्रतिशत राशि इस योजना हेतु रक्षित है। संकल्प के अनुसार इस राशि के

समतुल्य राज्य योजना से राशि दिया जाना है। उक्त स्थिति में मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजनान्तर्गत स्वीकृत होने वाली योजना के लिए तत्काल ₹400.00 लाख (चार करोड़ रु०) मात्र अग्रिम के रूप में स्वीकृत एवं आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। इस राशि को अगले वित्तीय वर्ष में योजना की स्वीकृति के पश्चात् राज्य योजना मद की राशि में समायोजित किया जायेगा।

7. उक्त निर्णय के आलोक में मुजफ्फरपुर नगर निगम को मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजनान्तर्गत राज्य योजना से स्वीकृत होने वाली राशि में से तत्काल ₹400.00 लाख (चार करोड़ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में विभागीय राज्यादेश सं०– 351 दिनांक– 29/2/17 के आलोक में निम्नवत् आवंटित की जाती है :–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	राज्य योजना से तत्काल आवंटित राशि
1	2	3	4
1	नगर निगम, मुजफ्फरपुर	नगर निगम, मुजफ्फरपुर शहरी पाईप जलापूर्ति योजना।	400.00

अर्थात कुल आवंटित राशि ₹400.00 लाख (चार करोड़ रु०) मात्र।

8. उक्त आवंटित राशि ₹400.00 लाख (चार करोड़ रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर होंगे**, जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561, दिनांक– 17.04.98 एवं पत्रांक– 423, दिनांक– 31.03.2016 एवं पत्रांक – 811, दिनांक– 12.08.2016 (प्रथम अनुपूरक) में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से की जायेगी। राशि की निकासी के उपरांत विभागीय संकल्प संख्या– 1287, दिनांक– 25.02.2016 की कंडिका– 5 (ii) के अनुरूप खोले गये खाते में राशि रखी जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में **A.C. विपत्र पर नही की जाएगी।**

9. उक्त आवंटित कुल राशि ₹400.00 लाख (चार करोड़ रु०) मात्र की निकासी माँग सं०– 48 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2215– जलापूर्ति तथा सफाई– उप मुख्य शीर्ष 01– जल पूर्ति–लघु शीर्ष–789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – उप शीर्ष – 0101– पेय जलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड– **P 2215017890101** राज्य योजना स्कीम कोड URB 50 64, विषय शीर्ष 31 05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों का निर्माण से की जाएगी।

10. राशि की निकासी के बाद टी० भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जायेगा। वित्त विभाग के परिपत्र

सं०–1496/वि(2), दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर **कोषागार** में प्रस्तुत किया जायेगा।

11. क्रय संबंधी मामलों में विधिवत क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर क्रय किया जायेगा। राशि की निकासी के बाद टी०भी० नं० एवं तिथि के साथ सरकार को अवगत कराया जायेगा।

12. योजना का कार्यान्वयन निम्नांकित शर्तो के अधीन किया जायेगा :–

(i) योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा तैयार किये गये एवं अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुमोदित मॉडल प्राक्कलन के आधार पर किया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन हेतु संशोधित मार्गदर्शिका भी निर्गत किया जा चुका है। उक्त प्राक्कलन एवं संशोधित मार्गदर्शिका विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है, जिसकी सूचना विभागीय पत्रांक– 123, दिनांक– 11.01.2017 द्वारा सभी नगर निकायों एवं जिला शहरी विकास अभिकरणों को दिया जा चुका है। नगर निकाय द्वारा योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा। योजना के संधारण के लिए अलग से दिशा–निर्देश निर्गत किया जायेगा।

(ii) नगर निकाय द्वारा प्रत्येक House Hold Connection देने के क्रम में मकान मालिक का नाम, पता, आधार नम्बर, मोबाईल नं० एवं तस्वीर अपने अभिलेख में रखने के अतिरिक्त उनसे एक प्रमाण पत्र भी लेना सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके घर में नल का जल उपलब्ध हो गया है। नल जल कनेक्शन से संबंधित सारी जानकारी विभाग द्वारा विकसित MIS पर Upload किया जायेगा।

(iii) **योजना का कार्यान्वयन ई–टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।**

(iv) ऐसे नगर निकाय जहाँ जलापूर्ति हेतु विशिष्ट प्रकार की समस्या यथा– पथरीला इलाका, जल स्त्रोत में कठिनाई इत्यादि हो, वैसे नगर निकायों में बिहार राज्य जल पर्षद से तकनीकी सहायता प्राप्त कर योजनाओं का कार्यान्वयन किया जायेगा। आवश्यकतानुसार इसके लिए स्वीकृत राशि में अनुमान्य सीमा तक परिवर्तन भी किया जा सकता है।

(v) राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवदेन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(vi) उक्त राशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि जलापूर्ति योजना का डुप्लीकेशन किसी अन्य योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही/की गई योजना से किसी भी परिस्थिति में न हो।

(vii) उक्त योजना के कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना का मद उसकी लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

13. वित्त विभाग के परिपत्र सं0–7355 वि(2) दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

14. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

15. विभागीय संकल्प संख्या–1287, दिनांक– 25.02.2016 के कंडिका– 06 के अनुरूप अनुश्रवण की व्यवस्था एवं कंडिका– 07 के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था की जायेगी।

16. योजना का कार्यान्वयन विभागीय संकल्प संख्या– 1287, दिनांक– 25.02.2016 तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। आवंटित राशि का व्यय उसी कार्य के विरूद्ध किया जायेगा, जिसके निमित राशि स्वीकृत की गई है।

17. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, मुजफ्फरपुर प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर /प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

29.3.17

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/जला०–01–14/2017 352 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 29/3/17

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, मुजफ्फरपुर प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको/कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, मुजफ्फरपुर/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–2, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.3.17

सरकार के विशेष सचिव।

आनंद

पत्रांक–2ब०/जला०–01–50/2016 351 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

*द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक– 29/3/17

विषयः– **मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत पूर्व से संचालित केन्द्र सम्पोषित JNNURM योजना की विस्तारित अवधि 31.03.2017 को समाप्त होने की स्थिति में योजना का अवशेष कार्य राज्य योजनान्तर्गत "मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना" से कराए जाने के निर्णय के आलोक में तत्काल योजना स्वीकृति की प्रत्याशा में अग्रिम राशि ₹400.00 लाख (चार करोड़ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों को नल के माध्यम से शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराने हेतु "मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना" प्रारंभ किया गया है। योजना के कार्यान्वयन हेतु विभागीय संकल्प संख्या– 1287, दिनांक– 25.02.2016 निर्गत किया गया है।

2. विभागीय संकल्प के कंडिका– 04 अनुसार जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन की रणनीति निम्नवत है :–

(i) इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों की सघन एवं निरंतर बसे घरों के लिए पेय जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता आधारित सतही जल/भूगर्भीय जल का उपयोग करके योजनाएँ बनायी जाएगी। लगभग 15–20 प्रतिशत क्षमता Overhead Tank के माध्यम से सृजित की जाएगी एवं शेष क्षमता के लिए Direct Pumping से आपूर्ति करने का प्रावधान किया जाएगा।

(ii) ऐसी बसावटें, जो शहरी क्षेत्रों के किनारे पर अलग से स्थित है, उनमें छोटी विकेन्द्रित योजनाऐं ली जाएगी, जिसमें बोरिंग कर समरसेबुल पम्प के माध्यम से Direct Pumping किया जाएगा।

(iii) शहरी स्थानीय निकायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयोजन से छोटी जलापूर्ति योजनाओं का कार्यान्वयन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किया जाएगा। बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा मॉडल परियोजना तैयार करके, सक्षम तकनीकी स्वीकृति के उपरांत, नगर निकायों को उपलब्ध करायी जाएगी। नगर निकायों द्वारा उनके पास उपलब्ध निधि से वार्ड के अंदर या अंतरवार्ड महत्व की छोटी योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जाएगा।

(iv) इस क्रम में शहरी स्थानीय निकायें, पूर्व से गाड़ें गये टयूबवेल, जिनका जीर्णोद्धार करना हो या क्षमता विकसित करनी है, उसके लिए भी कार्य ले सकेंगे।

(v) छोटी जलापूर्ति योजनाओं का कार्यान्वयन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किया जाएगा। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्तुत योजनाओं पर तकनीकी स्वीकृति बिहार राज्य जल पर्षद के मुख्य अभियंता के स्तर पर गठित समिति द्वारा की जायेगी। इस संबंध में समय–समय पर नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा दिशा निर्देश दिया जायेगा।

(vi) योजना का क्रियान्वयन 'E-tendering' के माध्यम से ही किया जायेगा।

3. विभागीय संकल्प के कंडिका– 05 (i) के अनुसार नगर निकायों को ''मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना'' के अंतर्गत निम्नांकित स्त्रोतों से निधि प्राप्त होगी :–

(i) 14वें वित्त आयोग की 30 प्रतिशत राशि (स्थानीय नगर निकायों का पूर्णतया हिस्सा)

(ii) पंचम राज्य वित्त आयोग की 30 प्रतिशत राशि (स्थानीय नगर निकायों को पूर्णतया हिस्सा)

(iii) हर घर नल जल निश्चय योजना अन्तर्गत उपर्युक्त क्रमांक– (i) और (ii) के योग के समतुल्य राशि, राज्य सरकार द्वारा राज्य योजना से स्थानीय नगर निकायों को दी जाएगी।

4. मुजफ्फरपुर शहर में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना की स्वीकृति अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि पूर्व में JNNURM योजना के अधीन केन्द्र सम्पोषित मुजफ्फरपुर शहरी जलापूर्ति योजना का कार्यान्वयन बुडको द्वारा कराया जा रहा था। विभिन्न कारणों से योजना बाधित रही तथा भारत सरकार द्वारा योजना को बंद कर दिया गया। उक्त योजना में अनुपयुक्त राशि अब भारत सरकार को बापस लौटा दिया जायेगा, क्योंकि JNNURM योजना की विस्तारित अवधि 31.03.2017 को समाप्त हो रही है।

5. उक्त योजना के तहत तैयार किये गये DPR में आंशिक संशोधन करते हुए शेष कार्य राज्य योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना से कराने का निर्णय लिया गया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि तैयार किये गये DPR के तहत मुजफ्फरपुर शहर के जोन सं०– 06,08,09 एवं 10 में बुडकों द्वारा योजना पूर्ण किया जायेगा तथा शेष जोन में नगर निगम, मुजफ्फरपुर द्वारा कार्य कराया जायेगा। पुनरीक्षित DPR में House Hold Connection, Quality Control, Water Meter इत्यादि का प्रावधान किया जायेगा। पुनरीक्षित DPR विभाग को प्राप्त होने पर अगले वित्तीय वर्ष में इसकी प्रशासनिक स्वीकृति मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के अन्तर्गत प्रदान की जायेगी।

6. मुजफ्फरपुर नगर निगम के पास मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना से संबंधित विभागीय संकल्प की कंडिका– 05(i) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में आवंटित 14वें वित्त आयोग एवं पंचम राज्य वित्त आयोग मद की 30 प्रतिशत राशि इस योजना हेतु रक्षित है। संकल्प के अनुसार इस राशि के समतुल्य राज्य योजना से राशि दिया जाना है। उक्त स्थिति में मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में मुख्यमंत्री शहरी

पेयजल निश्चय योजनान्तर्गत स्वीकृत होने वाली योजना के लिए तत्काल ₹400.00 लाख (चार करोड़ रु०) मात्र अग्रिम के रूप में स्वीकृत एवं आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। इस राशि को अगले वित्तीय वर्ष में योजना की स्वीकृति के पश्चात् राज्य योजना मद की राशि में समायोजित किया जायेगा।

7. उक्त निर्णय के आलोक में मुजफ्फरपुर नगर निगम को मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजनान्तर्गत राज्य योजना से स्वीकृत होने वाली राशि में से तत्काल ₹400.00 लाख (चार करोड़ रु०) मात्र की स्वीकृति सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् प्रदान की जाती है :–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	राज्य योजना से तत्काल स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1	नगर निगम, मुजफ्फरपुर	नगर निगम, मुजफ्फरपुर शहरी पाईप जलापूर्ति योजना।	400.00

अर्थात कुल स्वीकृत राशि ₹400.00 लाख (चार करोड़ रु०) मात्र।

इसके लिए आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

8. उक्त स्वीकृत राशि ₹400.00 लाख (चार करोड़ रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर होंगे**, जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561, दिनांक– 17.04.98 एवं पत्रांक– 423, दिनांक– 31.03.2016 एवं पत्रांक – 811, दिनांक– 12.08.2016 (प्रथम अनुपूरक) में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से की जायेगी। राशि की निकासी के उपरांत विभागीय संकल्प संख्या– 1287, दिनांक– 25.02.2016 की कंडिका– 5 (ii) के अनुरूप खोले गये खाते में राशि रखी जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में **A.C. विपत्र पर नही की जाएगी।**

9. उक्त स्वीकृत कुल राशि ₹400.00 लाख (चार करोड़ रु०) मात्र की निकासी माँग सं०– 48 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2215– जलापूर्ति तथा सफाई– उप मुख्य शीर्ष 01– जल पूर्ति–लघु शीर्ष–789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – उप शीर्ष – 0101– पेय जलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड– **P 2215017890101** राज्य योजना स्कीम कोड URB 50 64, विषय शीर्ष 31 05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों का निर्माण से की जाएगी।

10. राशि की निकासी के बाद टी० भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जायेगा। वित्त विभाग के परिपत्र सं०–1496/वि(2), दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

11. क्रय संबंधी मामलों में विधिवत क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर क्रय किया जायेगा। राशि की निकासी के बाद टी०भी० नं० एवं तिथि के साथ सरकार को अवगत कराया जायेगा।

12. **योजना का कार्यान्वयन निम्नांकित शर्तो के अधीन किया जायेगा :–**

(i) योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा तैयार किये गये एवं अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुमोदित मॉडल प्राक्कलन के आधार पर किया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन हेतु संशोधित मार्गदर्शिका भी निर्गत किया जा चुका है। उक्त प्राक्कलन एवं संशोधित मार्गदर्शिका विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है, जिसकी सूचना विभागीय पत्रांक– 123, दिनांक– 11.01.2017 द्वारा सभी नगर निकायों एवं जिला शहरी विकास अभिकरणों को दिया जा चुका है। नगर निकाय द्वारा योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा। योजना के संधारण के लिए अलग से दिशा–निर्देश निर्गत किया जायेगा।

(ii) नगर निकाय द्वारा प्रत्येक House Hold Connection देने के क्रम में मकान मालिक का नाम, पता, आधार नम्बर, मोबाईल नं० एवं तस्वीर अपने अभिलेख में रखने के अतिरिक्त उनसे एक प्रमाण पत्र भी लेना सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके घर में नल का जल उपलब्ध हो गया है। नल जल कनेक्शन से संबंधित सारी जानकारी विभाग द्वारा विकसित MIS पर Upload किया जायेगा।

(iii) **योजना का कार्यान्वयन ई–टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।**

(iv) ऐसे नगर निकाय जहाँ जलापूर्ति हेतु विशिष्ट प्रकार की समस्या यथा– पथरीला इलाका, जल स्त्रोत में कठिनाई इत्यादि हो, वैसे नगर निकायों में बिहार राज्य जल पर्षद से तकनीकी सहायता प्राप्त कर योजनाओं का कार्यान्वयन किया जायेगा। आवश्यकतानुसार इसके लिए स्वीकृत राशि में अनुमान्य सीमा तक परिवर्तन भी किया जा सकता है।

(v) राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवदेन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(vi) उक्त राशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि जलापूर्ति योजना का डुप्लीकेशन किसी अन्य योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही/की गई योजना से किसी भी परिस्थिति में न हो।

(vii) उक्त योजना के कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना का मद उसकी लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

13. वित्त विभाग के परिपत्र सं0–7355 वि(2) दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

14. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

15. विभागीय संकल्प संख्या–1287, दिनांक– 25.02.2016 के कंडिका– 06 के अनुरूप अनुश्रवण की व्यवस्था एवं कंडिका– 07 के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था की जायेगी।

16. योजना का कार्यान्वयन विभागीय संकल्प संख्या– 1287, दिनांक– 25.02.2016 तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। आवंटित राशि का व्यय उसी कार्य के विरूद्ध किया जायेगा, जिसके निमित राशि स्वीकृत की गई है।

17. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब/जला० 01–14/2017 के पृष्ठ सं०– 04 /टि० पर दिनांक– 27.03.2017 को प्राप्त है एवं सक्षम प्रधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०– 04 /टि० पर दिनांक– 28.03.2017 को प्राप्त है ।

18. इसकी सूचना प्रमंडलीय आयुक्त, मुजफ्फरपुर प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर /प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

29.3.17

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/जला०–01–14/2017 351 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 29/3/17

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, मुजफ्फरपुर प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको/नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, मुजफ्फरपुर/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–2, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.3.17

सरकार के विशेष सचिव।

D:\Section - 2 (17-18)\GO 2016-17\GO_ Water_ 2016-17.doc